**Revised Certificate Order 29/14 Dated 3-12-2014**

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

**No- 4/2016** **Deted- 25 Jan.,2016**

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that **2.27** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.-Chabra** (name of user agency) for **Contruction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Pali** village(S) in **Chabra** tehsils.

It is Further certified that:

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.27** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Lavel Committee are enclosed as annexure-**(A)** to annexure-**(C)**

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,

(f) the proposal does not invoive recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

**Signature**

(Lalit Kumar Gupta)

**Presedent of District Lavel committees &**

**District Collector, Baran**

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारॉं

आज दिनांक 05|11|2018 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि मे सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों को मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में कमांक 14,15 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

## वन विभाग की भूमि का विवरण

| खसरा नं. | क्षेत्रफल | गॉव का नाम |
|---|---|---|
| 229 | 0.17 Hect. | हिंगलोट |
| 227 | 0.40 Hect | हिंगलोट |
| 161 | 0.07 Hect | बिशनखेड़ा चैना |
| 345 | 0.57 Hect | बिशनखेड़ा चैना |
| 346 | 0.41 Hect | बिशनखेड़ा चैना |
| 178 | 0.26 Hect | मदनाखेडी |
| 167/588 | 0.39 Hect | मदनाखेड़ी |
| **Total** | **2.27 Hect** | |

सरपंच ग्राम पंचायत
पंचायत समिति
सरपंच ग्राम पंचायत पाली
पं. स. छबड़ा जिला बारां (राज.)

सचिव ग्राम पंचायत
पंचायत समिति छबड़ा
ग्राम सेवक पदेन सचिव
पंचायत समिति छबड़ा (बारां

संख्या - 1

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स  G. P.

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति ...... पाली ...... पंचायत समिति ...... दबड़ा ...... जिला ...... बारां

| बैठक होने की तारीख | बैठक का स्थान | पंच / सरपंच का नाम | उपस्थित सदस्यों का नाम | बैठक की कार्यवाही का विवरण | बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5-11-2015 | अटल सेवा केन्द्र पाली | श्रीमती कैलाश बाई सरपंच | | आज दिनांक 5-11-2015 को ग्राम पंचायत पाली की बैठक श्रीमती कैलाश बाई सरपंच महोदया की अध्यक्षता में स्थान अटल सेवा केन्द्र पाली पर समय 11.00 A.M. बजे आयोजित की गई। | कौशल्या |

सदन के समक्ष सर्वप्रथम गत बैठक कार्यवाही का पठन किया गया। जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद पंचायत की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई। ~~उपस्थित सदस्यों~~ तत्पश्चात निम्न प्रस्ताव लिए गये।

<u>प्रस्ताव सं० 1</u> बैठक के दौरान सा०वि०वि० द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि हिंगलोट से मदनारेवड़ी सड़क जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही है उसके निर्माण हेतु कोरम बैठक में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु पुन: प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गयी एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है उक्त प्रस्ताव ग्रा०पं० की कोरम बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया गया है तथा कार्यवाही के दौरान लगभग 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज करवाई गई। अत: सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण की अभिशंसा की जाकर प्रस्ताव पारित किया जाता है।

सड़क के निर्माण में आ रही वन भूमि प्रति खसरा

| ग्राम का नाम | खसरा नं० | क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| हिंगलोट | 229,227 | 0.57 है० |
| विजयखेड़ा | 161,345,346 | 1.03 है० |
| मदनारेवड़ी | 178,167,588 | 0.67 है० |

<u>प्रस्ताव सं० 2</u> :- बैठक कार्यवाही के दौरान हल्का पटवारी श्री रामस्वरूप जी मीणा द्वारा बताया गया कि चरागाह प्रस्ताव हेतु पंचफल निर्माण खसरा नं० 316 एवं गोदाम के निर्माण हेतु खसरा नं० 237 चरागाह अटल सेवा के भूमि अधिकारी से लगी हुई है गोदाम निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया। एवं पारित किया गया।

रामेश्वर
शंकरसिंह
देवाराम
लाड्डू
बिरमा
लाड्डू

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स, कोटा.6 ☎ : 2380743
G. P. 11

/ न्याय उप समिति ............ पंचायत समिति ............ जिला ............ वर्ष

| ...का स्थान | पंच / सरपंच का नाम | उपस्थित सदस्यों का नाम | बैठक की कार्यवाही का विवरण | बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <u>प्रस्ताव सं०3</u> : बैठक कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत की प्रोगेस अपर्याप्त है प्रेरकों द्वारा कार्य करने में असमर्थता दर्शायी गई जबकि प्रत्येक माह की 20 तारीख तक 30 शौचालय बनाकर उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की प्रेरकों से अपेक्षा की गई। यदि प्रोगेस नहीं आती है तो इनके स्थान पर दूसरे पात्रों को मौका दिया जावे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।<br>अतः बैठक कार्यवाही को उपस्थित सदस्यों ने समाप्त करने का आग्रह किया गया तत्पश्चात बैठक कार्यवाही समाप्त की गई।<br>[signature]<br>ग्राम विकास अधिकारी/पदेन सचिव<br>ग्राम पंचायत पाली<br>पंचायत समिति छबड़ा (बारां)<br>[signature]<br>सरपंच<br>ग्राम पंचायत पाली<br>पं. स. छबड़ा जिला बारां (राज.) | [signature] (वार्डपंच) |

आज दिनांक ......10/11/2015...... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकर कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी के लिए प्राप्त प्रस्ताव .................................... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकर पत्र जारी नही हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावति वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत पाली

| खसरा नं. | क्षैत्रफल | गॉव का नाम |
|---|---|---|
| 229 | 0.17 Hect. | हिंगलोट |
| 227 | 0.40 Hect | हिंगलोट |
| 161 | 0.07 Hect | बिशनखेड़ा चैना |
| 345 | 0.57 Hect | बिशनखेड़ा चैना |
| 346 | 0.41 Hect | बिशनखेड़ा चैना |
| 178 | 0.26 Hect | मदनाखेडी |
| 167/588 | 0.39 Hect | मदनाखेड़ी |
| **Total** | **2.27 Hect** | |

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड छबड़ा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छबड़ा

विकास अधिकारी
पं.स. छबड़ा।

सहायक वन संरक्षक
शीपाबडौद

# जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां(राज.) का बैठक कार्यवाहीं विवरण दिनांक 25.1.2016

आज दिनांक 25.1.2016 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला बारां क्षैत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबडा के प्रस्ताव ल्हासी मध्यम सिचाई परियोजना से प्रभावित डूब क्षैत्र एंव सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड,छबडा के पूर्व अनुशंषित प्रस्ताव संख्या– 27/14 व 28/14 का सम्मिलित प्रस्ताव एंव 29/14 पारित दिनांक 3.12.2014 में संशोधन किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त सभी प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियो, छीपाबडौद/छबडा से अनुमोदन होकर प्राप्त हुऐ है। इन प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। उक्त प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एंव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से अनापत्ति प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। फलस्वरूप अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबडा से प्राप्त ल्हासी मध्यम सिचांई परियोजना मे प्रभावित वन भूमि कुल 185.00 है0 की उक्त अधिनियम की धारा, 3(2) के तहत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है। तथा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा द्वारा पूर्व में अनुशंषित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 7.166 है0 के स्थान पर 6.969 है0, प्रस्ताव संख्या 28/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 6.418 है0 के स्थान पर 6.589 है0 एंव प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.00 है0 के स्थान पर 2.27 है0 की अनुशंसा की जाती है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र पृथक से जारी हो।

1– अधिशाषी अभियंता, जनसंसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबडा–

| क0सं0 | यूजर एजेन्सी का नाम | प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन | वनखण्ड सीमा/नाका | प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में) | ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों के नाम व प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक | | उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितिं में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबडा | ल्हासी मध्यम सिचांई परियोजना से प्रभावित क्षैत्र हेतु | झनझनी | 140.00 हैक्टयर | दीगोद खालसा | 5.12.2015 | 22.12.2015 |
| | | | सेतकोलू | 45.00 हैक्टयर | सेतकोलू | 5.12.2015 | |
| | | | | योग 185.00 हैक्टयर | | | |

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बाराँ

DCF Baran
उप वन संरक्षक
बाराँ

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माझा जिला परिषद, बाराँ

25/1/016
सदस्य
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति

2– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा–

| क्र0 सं0 | यूजर एजेन्सी का नाम | प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन | पूर्व में पारित प्रस्ताव | | प्रस्तावित भूमि का विवरण | | संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक | संशोधित [illegible] हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रस्ताव सं0 | दिनांक | पूर्व में प्रस्ता. रकबा | संशोधित रकबा | | |
| 1 | अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा | कोटा धरनावदा सड़क किमी. 132/500 से 134/200 | 27/2014 | 3.12.2014 | 7.166 है0 | 6.969 है0 | चाचौडा (15.10.2015) | 10.11.2015 |
| 2. | अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा | कोटा धरनावदा सड़क किमी. 134/200 से 137/500 | 28/2014 | 3.12.2014 | 6.418 है0 | 6.589 है0 | भीलवाडा नीचा (8.10.2015) | 10.11.2015 |
| 3. | अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा | हिंगलोट से मदनाखेडी सड़क | 29/2014 | 3.12.2014 | 3.00 है0 | 2.27 है0 | पाली (5.11.2015) | 10.11.2015 |

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एंव जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां
अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारॉं

(सुनिल चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां
उप वन संरक्षक
बारॉं

(महेश चन्द परेवा)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी–माडा जिला परिषद,बारां
अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माड़ा जिला परिषद, बारॉं

25/1/016
(निर्मला मीणा)
सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां